**COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI**

***Satyanarayan Sheohare***

***District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.*** 

***B.A. No. 206/2026***

***Sono P.S. case no. 200/2023***

**Md. Sajid @ Shansha Vs. State of Bihar**

---

**16.04.2026** सोनो थाना कांड सं0–200/2023, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 394, 411 से संबंधित है, के अभियुक्त **मो0 साजिद उर्फ शहंसाह** उम्र करीब 28 वर्ष, पिता–मो0 मंजूर, निवासी ग्राम–महिसौड़ी, थाना व जिला–जमुई की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

कांड के सूचक दिलीप यादव पे0 सुरेश यादव द्वारा थानाध्यक्ष सोनो थाना को दिये गये आवेदन में साररूप से कथन किया है कि दिनांक–15.06.2023 को समय करीब 9 बजे रात्रि में वह दलसिंह सराय से अपने पिकअप वैन, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0–WB-37B/9941 है, पर सब्जी लोड कर खलासी किटू कुमार के साथ चितरंजन के लिए निकला था रास्ते में जाने के क्रम में बटिया घाटी चिरान पुल के पास समय करीब 2 बजे रात्रि में एक स्कॉपियो ओवर टेक कर उसके पिकअप वैन के आगे आकर खड़ा कर दिया तो उसने अपना पीकअप वैन रोक दिया। गाड़ी रूकने के बाद स्कार्पियों से चार अज्ञात अपराधी उतरे और सभी ने अपने मुँह में कपड़ा बांधे हुआ था और सभी अपराधी के पास हथियार भी था उसमें एक एक व्यक्ति उसके पास आकर उसकी कनपटी में हथियार सटा दिया और खीचकर गाड़ी से उन दोनों को बाहर कर दिया और सभी ने मिलकर उन दोनों को बेरहमी से मारा। वे दोनों जख्मी अवस्था में वही पड़े रहे और उसका पिकअप भान को बटिया बाजार की ओर घुमाकर स्कार्पियों के साथ पिकअप भान को लेकर भाग गये। उस पिकअप भान में सोलह हजार रूपया, जो पांच या दस के सिक्का के रूप में प्लास्टिक के बोरा में बंधा हुआ था और नौ हजार रूपया नोट के रूप में गाड़ी के डेस्क वोर्ड में रखा हुआ था और एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल गाड़ी में ही रखा हुआ था जिसमें जियों कंपनी का सिम लगा हुआ था जिसका नं0–6295342413 है। सभी को पिकअप भान के साथ लेकर भाग गया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर अग्रिम जमानत हेतु अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दिया गया, जो A.B.A. 1687/2024 के रूप में अस्वीकृत किया गया। इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त की ओर से ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। आवेदक अभियुक्त के पास से ना तो पिकअप भान बरामद हुआ है और ना ही रूपया बरामद हुआ। आवेदक अभियुक्त का नाम इस वाद में सह अभियुक्त मो0 परवेज तथा मो0 साजिद के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। मो0 साजिद एवं मो0 परवेज से जमीन विवाद के चलते उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक अभियुक्त का नाम दिया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा पहचान परेड नहीं करवाया गया है। आवेदक अभियुक्त को मात्र शंका के आधार पर फंसाया गया है।

---

आवेदक अभियुक्त परिवार के साथ दिल्ली में रहता है और दिल्ली में किराना का दुकान चलाता है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 13.03.2026 से काराधीन है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। सह अभियुक्तों को पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभओं से समर्पित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है, किंतु जमानत का यह बंधपत्र मामले में आरोप गठन के पश्चात तथा यदि दो माह की अवधि के अंदर आरोप गठन नहीं होता है तो दो माह की अवधि पूर्ण होने पर स्वीकार किया जाएगा तथा यह भी कि इस शर्त का कोई प्रतिकूल प्रभाव आवेदक अभियुक्त के किसी विधिक अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।